**राज्य सूचना आयोग**
**बिहार, पटना**

के0 संख्या– 46 / 06–07

विषयः– श्री युगल किशोर प्रसाद, निगरानी समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत एवं पोस्ट– कराय परसराय, ग्राम–नेसरा, जिला– नालन्दा का का प्राप्त आवेदन पत्र।

---

09.11.2006 जिला पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा को आवेदन की छाया–प्रति संलगन करते हुए दिनांक 30.11.06 तक कंडिकावार प्रतिवेदन की मााग करें तथा सुनवाई की तिथि 04.12.06 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अपने लोक सूचना पदाधिकारी को सुनवाई हेतु संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित रहने का निदेश दें तथा आवेदक को भी सूचना दें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.12.2006 जिला पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा से कंडिकावार प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः सुनवाई की तिथि 04.01.07 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कंडिकावार प्रतिवेदन भेजने तथा सुनवाई की तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देष दिया जाय। आवेदक को अगली सुनवाई की तिथि की जानकारी दी जा चुकी है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 श्री आनन्द किशोर, जिला पदाधिकारी, नालन्दा को कंडिकावाद प्रतिवेदन देना था एवं आयोग के समक्ष व्यक्गित रूप से उन्हें उपस्थित भी होना था। उनके द्वारा न तो कंडिकावार मंतव्य दिया गया और न ही व्यक्गित रूप से उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में उनसे कारणपृच्छा की मांग दिनांक 20.01.07 के पूर्व की जाय कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20(1) के तहत कार्रवाई की जाय।

आयोग की अगली सुनवाई दिनांक 24.01.07 को प्रातः 10.30 बजे होगी। इसकी सूचना भी जिला पदाधिकारी को दी जाय एवं निदेश दिया जाय कि उक्त तिथि को वे व्यक्गित रूप से उपस्थित रहें।

आवेदक उपस्थित थे एवं उन्हें तिथि की जानकारी दी गयी।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

24.01.2007 वादी उपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, नालन्दा भी स्वयं उपस्थित हैं। वादी का कहना है कि इनके द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी गयी है। जिला पदाधिकारी, नालन्दा का कहना है कि सूचना प्रदान में कुछ त्रुटियाँ हुई है। उनके द्वारा मांगी गई सूचना वे देने को तैयार है, अगर वादी फोटो प्रतिलिपि का खर्च देने को तैयार हैं। अतः जिला पदाधिकारी, नालन्दा अपने कार्यालय द्वारा सूचित करेंगें कि कितनी राशि जमा करनी है और उसे जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर सारी सूचनाएँ उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी। अब इस वाद को समाप्त किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत धारा 20(1) के संबंध में दिये गए नोटिश के बारे में जिला पदाधिकारी का कहना है कि चूँकि नोटिश कार्यालय में निर्धारित तिथि के 4 (चार) दिनों के बाद प्राप्त हुई थी अतः अपेक्षित तारीख को जवाब नहीं दे सका। अतः उनकी सफाई को मानते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| (पी0एन0 नारायणन) | (मो0 शकील अहमद) | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) |
| राज्य सूचना आयुक्त | राज्य सूचना आयुक्त | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त |